# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

## अनुगति वाद संख्या :–683/2021–22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मंगरा मुण्डा – विक्रेता

सुकरो तिडू – क्रेता

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित |
|---|---|---|
| 13.10..23 | **आदेश**<br>आवेदक मंगरा मुण्डा पिता स्व0 गोपाल मुण्डा ग्राम–गार्टिन बांगला कमन्ता, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने सुकरो तिडू पति बिरसा मुण्डा ग्राम–सागा (बारूडीह), थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुगति हेतु आवेदन पत्र दिया है।<br>ग्राम: कमन्ता; थाना नं0: 79; खाता नं0: 21; खेसरा सं0: 1214; रकबा(एकड़ में): 0.08½<br>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0495457929 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 727 दिनांक 09.10.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दुलका मुण्डा वगै0 हैं। पंजी II के अनुसार गोपाल मुण्डा वगै0 के नाम भूमि का रकबा 30.74 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 3.84 एकड़ भूमि सम्मिलित है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023–24 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 29801.00(उन्तीस हजार आठ सौ एक) रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3. 75½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु बिक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदवन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।<br>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मंगरा मुण्डा पिता स्व0 गोपाल मुण्डा को सुकरो तिडू पति बिरसा मुण्डा के साथ ग्राम–कमन्ता के खाता सं0 21 खेसरा संख्या 1214 का कुल रकबा 0.08½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 29801.00(उन्तीस हजार आठ सौ एक) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।<br>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।<br>लेखापित एवं संशोधित<br>13/10/23<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।<br>13/10/23<br>भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी। | |

| ग्राम | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा सं0 | रकबा(एकड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| कमन्ता | 79 | 21 | 1214 | 0.08½ |

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2024.01.05 12:33:13 +05:30
Location: 192.168.1.103